

I/201693/2025

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
केन्द्रीय जल आयोग  
\*\*\*\*\*

कमरा संख्या - 725, सेवा भवन,  
आर. के. पुरम, नई दिल्ली - 110066  
दिनांक: -03/04/2025

**कार्यालय आदेश**

केन्द्रीय जल आयोग में कार्यरत श्रीमती ए. किरुतिका, संयुक्त निदेशक के पहले बच्चे के लिए 180 दिनों की मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) को CCS(Leave) Rules, 1972 के प्रावधान से निम्नानुसार छुट्टी एतद द्वारा स्वीकृत की जाती है : -

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवकाश का प्रारूप	दिनांक से	दिनांक तक	कुल अवधि
1	श्रीमती ए. किरुतिका	संयुक्त निदेशक	मातृत्व अवकाश	11.02.2025	09.08.2025	180

2- यह प्रमाणित किया जाता है कि छुट्टी से लौटने पर उन्हें उसी पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया है / किये जाने की सम्भावना है जहाँ से वे छुट्टी पर गए थे |

( राजेंद्र कुमार )  
अनुभाग अधिकारी (स्था. XI)  
**BPL: 3328**

प्रतिलिपि:-

1. वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली|
2. अनुभाग अधिकारी लेखा-दो/तीन अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली|
3. उप-निदेशक, (कार्य योजना सैल), केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली|
4. सेवा-पुस्तिका /सुचना पट्ट/ वेबसाइट|